न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 14/2013

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थीगण**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
कम अभिहित अधिकारी, नागौर

1सुरेन्द्र परिहार पुत्र राजाराम परिहार जाति माली निवासी अजमेरी गेट बस्सी, नागौर।
फर्म–दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, बस्सी, अजमेरी गेट, नागौर।
2दुर्गालाल सांखला पुत्र गुमान सांखला
निवासी बस्सी मोहल्ला नागौर।
फर्म–मैसर्स दुर्गालाल दिनेश कुमार, पुरानी धान मण्डी, नागौर।
3रजनीश कुमार गुप्ता, निवासी–टंटा हनुमान की गली,
फटा कोट,करौली
फर्म–D-14, IIIrd floor चांदपोल अनाज मंडी, जयपुर।
4नवीन खण्डेलवाल, निवासी–KHA-52 भवानी नगर,
वार्ड नं. 68 सीकर रोड, जयपुर।
फर्म–नवीन डेयरी, एफ–117 कालाडेरा, चौमू रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

आदेश

दिनांक : 27.12.17

1. शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान–सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 5-04-2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

2(1). प्रार्थी दिनांक 02-05-12 को सुबह 11-00 बजे (AM) गश्त चैंकिंग के दौरान बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर स्थित मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी पर पंहुचा। वहां पर विक्रेता (मालिक)की हैसियत से सुरेन्द्र परिहार मौजूद था। प्रार्थी ने अपना परिचय दिया, परिचय लिया, परिचय पत्र दिखाया। विक्रेता से खाद्य लाईसेन्स / रजिस्ट्रेशन चाहा गया तो उसने कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिखाया।

2(2). यह कि आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले घी (श्री रस प्रीमीयम गोल्ड ब्राण्ड) के आधा लीटर X 10 पैक पैकेटस में मिलावट का शक होने पर इसकी जांच FSSA के तहत कराने के लिए खाद्य करोबारकर्ता से आधा लीटर X 4 पैक पैकेटस खरीदे एवं कीमत 460 रू. अदा किये एवं रसीद तैयार की, फॉर्म सं. 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता (मालिक) एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाये स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य कारोबाकर्ता (मालिक) से घी (श्री रस प्रीमीयम गोल्ड ब्राण्ड) की सप्लाई प्राप्त होने संबंधी बिल मांगा गया तो खाद्य कारोबारकर्ता (मालिक) ने मैसर्स दुर्गालाल दिनेश कुमार पुरानी धान मंडी नागौर का बिल प्रस्तुत किया। फार्म सं. 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता (मालिक) को देकर रसीद प्राप्त की।

2(3). यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार किये। जिन पर डीओ कोड खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित किया। लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता (मालिक) एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं प्रार्थी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात प्रत्येक खरीदसुदा घी के पैक पैकेटों पर एक–एक लेबल चिपकाया, चारों नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ कम सीएमएचओ नागौर की हस्ताक्षरसुदा पेपर स्लिप सं. क्यू–270 को नियमानुसार चारों नमूना पैकेटों पर नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य

अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

कारोबारकर्ता (मालिक) के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर पेपर दोनो पर आवे। गवाहान एवं प्रार्थी ने भी अपने हस्ताक्षर किये, चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

2(4).यह कि प्रार्थी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की। जिसे खाद्य कारोबारकर्ता (मालिक) सुरेन्द्र परिहार एवं गवाहों को पढकर सुनाकर, समझाकर, हस्ताक्षर करने हेतु कहा खाद्य कारोबारकर्ता (मालिक) सुरेन्द्र परिहार एवं गवाहो ने पढकर, सुनकर, समझकर, सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई।

2(5).यह कि प्रार्थी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म VI की प्रतियां तैयार की। उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागो के साथ फार्म VI के एक–एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागो, प्रत्येक को अलग–अलग आउटर कवर में बंद किया। मोटे मजबूत धागे से बांधा, ऊपर नीचे आजू बाजू सील चपडी किया तथा फार्म 6 की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बंद कर गोंद से चिपकाई, नमूने के चारों भागो एवं लिफाफो को सील चपडी किया।

2(6).यह है कि प्रार्थी ने दिनांक 03.05.12 को नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सीलबंद लिफाफा प्रेमचन्द भाटी वार्ड बॉय के साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 03.05.12 को शेष तीन सील नमूना भाग फार्म 6 का सील बंद लिफाफा डीओ कम सीएमएचओ नागौर को प्रार्थी ने जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

2(7).यह है कि आवेदक को अभिहित अधिकारी, नागौर के द्वारा घी (श्री रस प्रीमीयम गोल्ड ब्रांड) की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिससे मालूम हुआ कि लिया गया नमूना क्यू–270 खाद्य पदार्थ घी (श्री रस प्रीमीयम गोल्ड ब्रांड) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने कारण अवमानक स्तर (Substandard) पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 07-10-13 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे है।

4. पत्रावली पर उपल्वध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/368/एक्ट/2012/369 दिनांक 10-05-12 के अनुसार घी (श्री रस प्रीमीयम गोल्ड ब्रांड) का नमूना Substandard पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया गया है। अप्रार्थीगण को शास्ति से दण्डित किया जाना चाहिए।

5. उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 369 दिनांक 10.05.12 के अनुसार घी (श्री रस प्रीमीयम गोल्ड ब्रांड) का नमूना Substandard पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने Substandard घी (श्री रस प्रीमीयम गोल्ड ब्रांड) का विक्रय किया जिसके लिए वो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के लिए दोषी पाए जाते है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 खाद्य कारोबारकर्ता सुरेन्द्र परिहार पर 30,000/– अक्षरे रूपये तीस हजार, अप्रार्थी सं.2 दुर्गालाल सांखला पर 35,000/– अक्षरे रूपये पैंतीस हजार, अप्रार्थी सं.3 रजनीश कुमार गुप्ता पर 40,000/– अक्षरे रूपये चालीस हजार, अप्रार्थी सं.4 नवीन खण्डेलवाल पर 86,000/– अक्षरे रूपये छियासी हजार, कुल 1,91,000/– अक्षरे रूपये एक लाख इकरानवे हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगें।

6. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर